अनुवान:— जय भगवान बनाम विमलेश
मुकदमा संख्या:— 01 / 94 / 2023
निर्णय तिथि:— 07.10.2025

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर
सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान मीना)

ऑनलाईन नम्बर 2023 / 234 प्रवेश तिथि:—07.06.2023

वाद संख्या :— 01 / 94 / 2023

1. जय भगवान यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण यादव जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 98 सैक्टर 5, गुडगाव (हरियाणा) हालवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. विमलेश देवी पत्नी श्री कमलकान्त जोगी निवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला तहसील टहला जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955

उपस्थित:— श्री श्रवण मीना एड0—वादी

श्री विश्वास मित्तल एड0 प्रतिवादी

दिनांक 07.10.2025

—:निर्णय:—

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 365 खसरा संख्या 2442 / 0.26, 2448 / 0.04, 2450 / 0.04, 2457 / 0.08, 2458 / 0.25, 2462 / 0.19 कुल किता 06 कुल रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी की शामलाती की आराजी है। उक्त आराजी पर वादी 1 / 2 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1 / 2 के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त करके फायदा उठाते चले आ रहे है। और उक्त आराजी आज भी शामलाती आराजी है। उक्त आराजी पर आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक—पृथक किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व पैरोकार असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। वकुलाय की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। हस्ब सहमति वकुलाय पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं TDR टहला से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गयी।

3. प्रकरण में तहसीलदार टहला के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3179 दिनांक 02.09.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकुलाय की सुनी गई। दौरान—ए—बहस वकुलाय द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर दावा डिक्री करने पर सहमति जाहिर की।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2069—75 खाता संख्या 365 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारान को नोटिस दिया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट अनुसार समस्त खातेदारान में मुताबिक जमाबंदी हिस्सा बटॅवारा किया है एवं रास्ते का भी प्रावधान किया गया है। वकुलाय ने कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार टहला द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से वकुलाय भी सन्तुष्ट है। वकुलाय ने कुर्रेजात रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

अनुसार दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया। अतः हस्ब सहमति वसुलात के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराए गए। दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्त्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्त्व एवं कब्जा:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह–काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 365 खसरा संख्या 2442/0.26, 2448/0.04, 2450/0.04, 2457/0.08, 2458/0.25, 2462/0.19 कुल किता 06 कुल रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर *मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार टहला के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–*

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	जय भगवान पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जाति अहिर सा. गुडगाव हरियाणा।	2442 मिन 2462 मिन	0.24 0.17
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.41
2	विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त जाति जोगी हिस्सा पुर्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खोह दरिबा सा0 देह खातेदार।	2448 2450 2457 2458	0.04 0.04 0.08 0.25
		कुल किता 4	कुल रकबा–0.41

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला–अलवर
सत्यमेव जयते

3	जय भगवान पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2, विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त हिस्सा राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खोह दरिबा सा0 देह खातेदार। शामलाती।	2442 गैन 2462 गैन	0.02 0.02
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.04

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 02.09.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

अनुभाग— जय भगवान बनाम विमलेश
मुकदमा संख्या— 01/94/2023
निर्णय तिथि—07.10.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

ऑनलाईन नम्बर 2023 / 234 प्रवेश तिथि:—07.06.2023

वाद संख्या :— 01 / 94 / 2023

1. जय भगवान यादव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण यादव जाति अहीर निवासी मकान नम्बर 98 सैक्टर 5, गुडगाव (हरियाणा) हालवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. विमलेश देवी पत्नी श्री कमलकान्त जोगी आयु..... निवासी ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला तहसील टहला जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955
उपस्थित:— श्री श्रवण मीना एड0—वादी
श्री विश्वास मित्तल एड0 प्रतिवादी

दिनांक:— 07 / 10 / 2025

—:पर्चा डिक्री:—

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा खाता संख्या 365 खसरा संख्या 2442 / 0.26, 2448 / 0.04, 2450 / 0.04, 2457 / 0.08, 2458 / 0.25, 2462 / 0.19 कुल किता 06 कुल रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर *मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार टहला के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है—*

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	जय भगवान पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जाति अहिर सा. गुडगाव हरियाणा।	2442 मिन 2462 मिन	0.24 0.17
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.41
2	विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त जाति जोगी हिस्सा पुर्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खोह दरिबा सा0 देह खातेदार।	2448 2450 2457 2458	0.04 0.04 0.08 0.25
		कुल किता 4	कुल रकबा—0.41
3	जय भगवान पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2, विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त हिस्सा राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खोह दरिबा सा0 देह खातेदार। शामलाती	2442 मिन 2462 मिन	0.02 0.02
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.04

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रजात दिनांक 02.09.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक **07.10.2025** को तैयार की गई।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टहला (अलवर)

दिनांक 02/5/24

क्रमांक/भू.अ./2024/ 3179

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

राजगढ़ (अलवर)

विषय:- वाद संख्या 01/54/2023 उनवान जयभगवान बनाम विमलेश देवी

निर्णय दिनांक 12/2/24 वाके ग्राम तालाब

की पालना रिपोर्ट बाबत एवं पुन: दुरस्तीकरण पर श्रीमान के मौखिक आदेश पर कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि आराजी खसरा नं. / रकबा

2442/0.26, 2448/0.04, 2450/0.04, 2454/0.08, 2458/0.25, 2462/0.19

किता 6 कुल रकबा 0.86 वाके ग्राम तालाब

के कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार (भू.अ.)

टहला (अलवर)

तहसीलदार

टहला (अलवर)

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं कृष्णकान्त शर्मा......(नाम) तहसीलदार....टहला., न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ..राजगढ.. के आदेश कमांक/रीडर/कोर्ट/PA/2024/11 दिनांक 13:02:24 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक .... समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर 2442, 2448, 2450, 2457, 2458, 2462 वाके ग्राम तालाब.. पटवार हल्का तालाब......... पर श्री ..नारायण..लाल मीना नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...राजगढ.... में विचाराधीन प्रकरण संख्या–01/94/2023 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	जयभगवान	लक्ष्मीनारायण		यादव	वादी
2.	विमलेश देवी	कमलकान्त		जोगी	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

① जयभगवान पि. लक्ष्मीनारायण जाति यादव सा. गुडगॉव हरियाणा खातेदार
2442 मि / 0.24 2462 मि / 0.17 कुल किता ② रकबा 0.41 हे.

② विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त जोगी हि. पूर्ण रहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खोह दरिबा सा. देह खातेदार
2448 / 0.04 2450 / 0.04 2457 / 0.08 2458 / 0.25 कुल किता ④ रकबा 0.41 हे.

③ जयभगवान पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 विमलेश देवी पत्नी कमलकान्त हि. 1/2 रहिन SBBJ शाखा खोह दरीबा सा. देह खातेदार (शामलाती)
2442 मि / 0.02 2462 मि / 0.02 कुल किता ② रकबा 0.04 हे.

[signature]   भू.अ.नि. [signature]   [signature] 30/8/24
तहसीलदार
टहला (अलवर)

के कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरान को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर 30/8/24
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत............	....	....

तहसीलदार
टहला (अलवर)

नक्शा किश्तवार

ग्राम - तालाब

तहसील - टहला

जिला - अलवर

राजस्थान

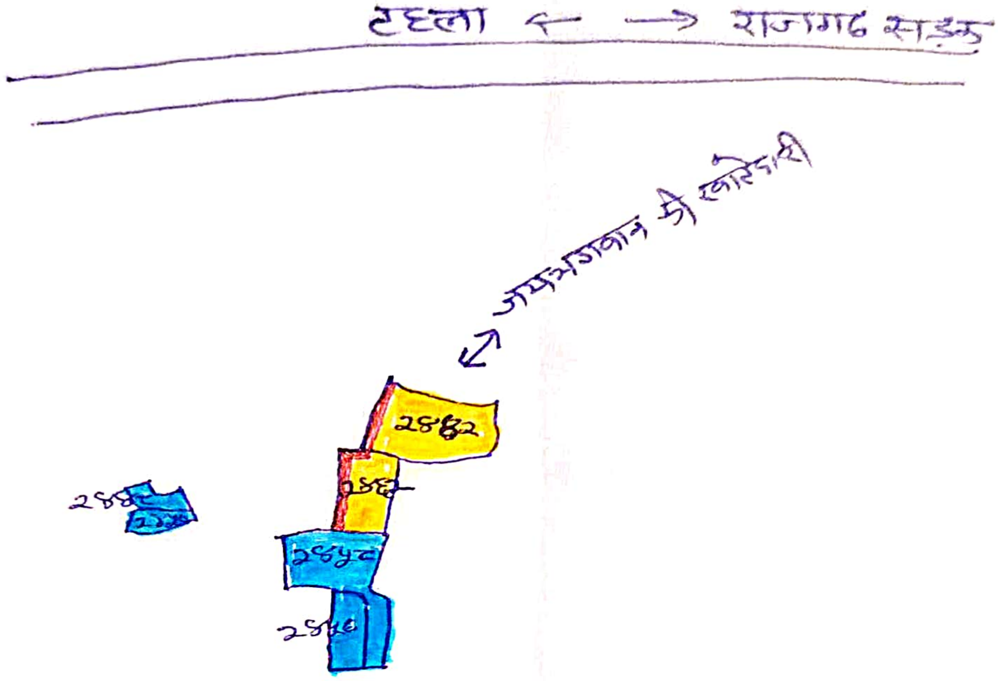

संकेत

■ शामलाती रास्ते हेतु

■ विमलेश पत्नी कमलकान्त

■ जयभगवान पुत्र लक्ष्मीनारायण

पटवारी तालाब

भू.अ.नि. तालाब

30/8/24

तहसीलदार
टहला (अलवर)